# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्या 33/2020**

1. हरीराम
2. शिम्भू
3. मुकेश

} पिसरान खिल्लू जाति जोगी निवासी ग्राम मालपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 11.09.2020 व मुकदमा सरकार बनाम हरीराम शिम्भू वगैरा मि0न0 40/20

उपस्थित :– 1. श्री दीवक शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक : 22.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 11.09.2020 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम रणधीरगढ की आराजी खसरा नम्बर 1450 रकवा 1.50 है0 किस्म गैरमुमकिन नाला (सिवायचक) में से 0.04 है0 पर अतिकमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी एवं 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है जो काविल निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है, अपीलान्ट की खातेदारी से लगा हुआ ग्राम मालपुर में आराजी खसरा नम्बर 1450 रकवा 1.50 है0 किस्म गैरमुमकिन नाला सिवायचक है। अपीलान्ट अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट के द्वारा गैरमुमकिन नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके विरूद्ध तहसीलदार व हल्का पटवारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट को जबाब व सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूमि की हल्का पटवारी के द्वारा कोई पैमाईश नहीं की गई है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में सिवायचक आराजी का खातेदारी की आराजी से लगता होना, अन्य व्यक्तियों का भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना एवं हल्का पटवारी द्वारा केवल अपीलान्ट के अतिक्रमण के सम्बन्ध में रिपोर्ट किये जाने का कथन किया है। पटवारी हल्का रंधीरगढ एवं भू अभिलेख निरीक्षक निठार द्वारा दिनांक 31.07.2020 को अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1450 गैरमुमकिन नाला पर काश्त कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। बयान हल्का पटवारी में भी अपीलान्ट द्वारा



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित भूमि पर फसल खरीफ बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.08.2020 में अपीलान्ट का तहत न्यायालय में उपस्थित होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण की बेदखली रिपोर्ट दिनांक 12.09.2019 एवं निर्णय दिनांक 11.09.2020 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट संवत 2077 खरीफ फसल से पूर्व भी विवादित भूमि पर अनाधिकृत काश्त कर अतिक्रमण किया है। परन्तु तत्समय भी अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश कराये जाने संबंधी कोई उज्र नहीं किया जिससे अपीलान्ट का सिवायचक गैरमुमकिन नाला भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की जानकारी होना स्पष्ट है। सिवायचक भूमि के संरक्षण का दायित्व तहसीलदार का है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है।

**अतः आदेश है कि:-**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहत पत्रावली के साथ तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**